कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0,
लोहाघाट।

पत्रॉक :- ..../ दिनॉक – ..../..../2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

विषय :- जनपद चम्पावत में मूलाकोट काण्डे भुइयां मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रॉक 847/एफ0पी0/यू0के0/रोड/13608/2015 दि0 7–9–2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रॉक 08बी0/यू0सी0पी0/06/220/908 दि0 05–09–2016 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनकी अनुपालन आख्या आनलाईन भेज दी गयी है तथा आख्या की हार्ड प्रति निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

1– क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिविल सोयम भूमि ग्राम विविल में 5.300 हे0 एवं ग्राम निडिल में 1.000 हे0 कुल 6.300 हे0 का नामान्तरण/हस्तान्तरण जिलाधिकारी चम्पावत के पत्र संख्या 1791/सात–भूमि हस्ता0 (स0भू0अ0)/2016–17 दि0 27 फरवरी 2017 के द्वारा वनविभाग के नाम कर दिया गया है। सिविल भूमि का अमल दरामद राजस्व विभाग द्वारा वनविभाग के नाम कर दिया गया है। खतौनी की नकल संलग्न है, तथा सिविल भूमि को वन विभाग द्वारा अपने कब्ज़े में ले ली है। कब्जा प्रमाण पत्र की 3 प्रति संलग्न है, (उपरोक्त सभी की तीन–तीन प्रतियॉ संलग्न–एक)

2– प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम निडिल में चयनित 1.000 हे0 सिविल भूमि के टापशीट मैप एवं जी0ई0ओ0 रिफरेन्स डिजिटल मानत्रित आनलाईन अपलोड कर दिया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र व डिजिटल मैप की तीन–तीन प्रति। (संलग्नक–दो)

3– एन0पी0वी0 की धनराशि आनलाईन जमा कर दी गयी है जो आनलाईन पेड है।

4– शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी उस धनराशि को जमा करने को सहमत है। प्रमाण पत्र 3 प्रतियों में संलग्न है। (संलग्नक–तीन)

5– आनलाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट किया गया, उसी चालान के माध्यम से उक्त धनराशि जमा की गयी। चालान की 3 प्रतियॉ संलग्न है। (संलग्नक–चार) कमशः पेज –2–

6– सड़क निर्माण के पश्चात Strip Plantation में किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्नक है, संलग्नक–पाँच)

उपरोक्तानुसार उक्त समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी देहरादून को भेजने की कृपा करें साथ ही यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लगाई गयी समस्त शर्तों का अनुपालन विभाग द्वारा कर लिया गया है, उत्तराखण्ड शासन के पत्रॉक 4949 / ।।(2)–14–3 (सामान्य) / 2008 टीसी लो0नि0 अनु–2 देहरादून दि0 9–9–2014 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जन प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है और एन0पी0वी0 आदि देयकों के भुगतान सहित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि का नामान्तरण / हस्तान्तरण वनविभाग के नाम हो चुका है उन मामलों में विधिवत स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना पेड़ों का छपान / कटान कराया जा सकता है और मौके पर कार्य भी प्रारम्भ किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार उक्त मार्ग में सभी शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है। अतः उक्त मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के छपान, कटान, कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न :– पत्रानुसार

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।

पत्रॉक :– ......136 / 20C

दिनॉक –4../7../2017

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, चम्पावत।
प्रतिलिपि – सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – खण्डीय अमीन, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।